न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 66 / 2024

श्री रामकिशोर पुत्र गेन्दीलाल निवासी ग्राम गोविन्दपुरा (सिंदडा) निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16.01.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1 श्रीमान जी आपके पत्र क्रमांक /भू.अ./2024/12187 दिनांक 13.09.2024 को श्रीमान् ACJM सा0 निवाई में श्रीराम प्रसाद पुत्र किस्तुर चन्द निवासी गोविन्दपुरा का प्रार्थना पत्र पेश की प्रमाणित प्रतिलिपी देने की कृपा करे।

2 हल्का पटवारी श्री प्रभूलाल दिनांक 1.08.2024 व 2.08.2024 को श्री कजोड पुत्र श्री नारायण के परिवाद की जांच हेतु मौके पर जाकर जांच की है अतः दिनांक 1.08.2024 व 2.08.2024 की मौका पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपी देने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को पत्र क्रमांक 1763 दिनांक 2.12.2024, 1846 दिनाक 13.12.2024 व 4 दिनांक 01.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर